◆ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन किये जाने हेतु।

1 **पंजीयन हेतु कौन-कौन पात्र होंगे।**

उत्तर- प्रत्येक भवन कर्मकार जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किन्तु साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जो पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान कम से कम नब्बे दिन तक किसी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में लगा रहा है, अधिनियम के अधीन हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये पात्र होगा।

2 **पुराना पंजीयन समाप्त होने के उपरांत कितने दिन बाद तक नये पंजीयन हेतु आवेदन कर सकते हैं।**

उत्तर- जब किसी हिताधिकारी ने धारा 16 की उपधारा(1) के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर अवधि के लिए अपने अभिदाय का संदाय नहीं किया है तो वह हिताधिकारी नहीं रह जायेगा: परन्तु यदि बोर्ड के सचिव का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाय का संदाय न किये जाने के लिये उचित आधार था और भवन कर्मकार ऐसी बकाया को जमा करने का इच्छुक है तो वह भवन कर्मकार का बकाया अभिदाय को जमा करने के लिये अनुज्ञात कर सकेगा और ऐसे जमा किये जाने पर भवन कर्मकार का रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्तित हो जायेगा।

उक्त अधिकार सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पत्र क्र 688-740 दिनांक 09.06.2010 द्वारा श्रम अधिकारियों को प्रत्यायोजित किये गये हैं।

3 **पंजीयन हेतु कहां संपर्क करें।**

उत्तर- पंजीयन के लिये संबंधित जिले के नगरीय निकायो तथा जनपद पंचायतों से संपर्क करें।

4 **पंजीयन हेतु किन-किन दस्तावेजों का होना आवश्यक है।**

उत्तर- पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में जानकारी के साथ दो फोटो, निवासी प्रमाण-पत्र निर्माण कर्मकार होने संबंधी स्वघोषणा-पत्र, बैंक पासबुक की प्रति आवश्यक है।

5 **नवीनीकरण (निरंतरीकरण) कैसे कराये।**

उत्तर- जिस पदाभिहित अधिकारी के पास पंजीयन कराया गया है वहीं रूपये 10 (पांच वर्ष हेतु अभिदाय) निर्धारित प्रारूप में जानकारी व निर्माण कर्मकार होने संबंधी स्वघोषणा-पत्र के साथ पंजीयन का निरंतरीकरण कराया जा सकता है। यदि कार्य के कारण स्थान परिवर्तन हुआ है तो ऑनलाईन पोर्टल में यह व्यवस्था है कि नवीन

स्थान के पदाभिहित अधिकारी द्वारा भी पंजीयन का निरंतरीकरण किया जा सकता है।

6 पुराना ऑफलाईन बना हुआ कार्ड आनलाईन कैसे कराये।

उत्तर- मण्डल द्वारा ऑनलाईन पंजीयन व्यवस्था अगस्त 2013 से प्रारंभ की गई है। बिन्दु क्र.4 में उल्लेखित दस्तावेजों के साथ संबंधित पदाभिहित अधिकारी से संपर्क कर ऑनलाईन पंजीयन कराया जा सकता है।

7 पंजीयन शुल्क कैसे और कितना जमा करना है।

उत्तर- पदाभिहित अधिकारी के पास पंजीयन शुल्क रूपये 05 जमा करना है।

8 एक ही परिवार के दो सदस्यों का क्या पंजीयन कराया जा सकता है।

उत्तर- यदि सदस्य निर्माण श्रमिक की पात्रता रखता है तथा जिसका पंजीयन चाहा जा रहा है ऑनलाईन पंजीयन में परिवार के सदस्य के रूप में उस व्यक्ति का नाम अंकित है तो उसे पहले परिवार के सदस्यों में से हटाना होगा तभी उस सदस्य का पंजीयन संभव हो सकेगा।

9 निर्माण श्रमिक को किस आयु सीमा तक लाभ प्राप्त करने की पात्रता है और हितलाभ प्राप्त करने हेतु पंजीयन किस उम्र तक वैध माना जावेंगा।

उत्तर- पंजीकृत निर्माण श्रमिक को (पेंशन सहायता को छोडकर) 60 वर्ष तक की आयु सीमा तक लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी।

◆ <u>प्रसूति सहायता योजना।</u>

1 प्रसूति उपरांत कितने दिवस पश्चात तक आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर- प्रसूति उपरांत 60 दिवस के भीतर आवेदन किया जा सकता है।

2 कितने बच्चों तक प्रसूति सहायता योजना का लाभ दिया जा सकता है।

उत्तर- 02 संतानों हेतु हितलाभ दिया जाता है।

3 प्रसूति घर में होने पर क्या हितलाभ दिया जावेगा।

उत्तर- संस्थागत प्रसव की स्थिति में हितलाभ प्रदान किया जाना चाहिये किन्तु आपात परिस्थितियों में यदि घर में प्रसूति हो जाती है तो परिस्थितियों की जांच करते हुये हितलाभ प्रदान किया जा सकता है।

4 क्या हितलाभ केवल महिला को ही दिया जाता है।

उत्तर- वैध परिचय-पत्र धारी महिला निर्माण श्रमिक अथवा वैध परिचय-पत्र धारी पुरूष निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति होने पर प्रसूति सहायता के रूप में 60 दिन की अवधि का अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित वेतन प्रसूति हितलाभ के रूप में दिया जाता है।

5 निजी चिकित्सालय में प्रसव होने पर क्या हितलाभ दिया जाता है।

उत्तर- जी हां।

6 आवेदन कैसे और कहां करना है।

उत्तर- योजनांतर्गत पदाभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में - विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, शहरी क्षेत्र सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल/विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी (अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र में)

◆ <u>शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना</u>

1. शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना हेतु कौन पात्र हैं।

उत्तर- पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र-पुत्रियां उक्त योजनांतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

2 आवेदन कहां करें।

उत्तर- जिस विद्यालय में छात्र-छात्रा अध्ययरत है, उसी विद्यालय के प्राचार्य के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

3 कितना हितलाभ दिया जाता है।

उत्तर- शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना में निम्नानुसार हितलाभ दिया जाता है :-

- कक्षा 1 से कक्षा 5 तक छात्र 500, छात्रा 800
- कक्षा 6 से कक्षा 8 तक छात्र 1000, छात्रा 1200
- कक्षा 9 से कक्षा 12 तक छात्र 1200, छात्रा 1700
- स्नातक कक्षा छात्र 3000, छात्रा 4000
- स्नातकोत्तर कक्षा छात्र 5000, छात्रा 6000
- स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम छात्र 6000, छात्रा 8000
- स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक परीक्षा पीएचडी तथा शोध कार्य छात्र 8000, छात्रा 10000

4 कितने दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर- 31 मार्च तक (जिस शैक्षणिक सत्र हेतु प्रोत्साहन राशि चाही गयी है उसके आगामी सत्र के 31 मार्च तक)

◆ मेधावी छात्र-छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना

1. मेधावी छात्र-छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना हेतु कौन पात्र हैं।

उत्तर- पंजीकृत निर्माण कर्मकारों की ऐसी संताने जिन्होंने निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई भी परीक्षा प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो, अथवा व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अहर्ता प्राप्त कर संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो।

2 आवेदन कहां करें।

उत्तर- जिस विद्यालय में छात्र-छात्रा अध्ययरत है, उसी विद्यालय के प्राचार्य के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

3 किस कक्षा से हितलाभ प्रदान किया जाता है।

उत्तर- कक्षा 5वीं से स्नातकोत्तर कक्षाओं तक हितलाभ दिया जाता है।

4 कितना हितलाभ दिया जाता है।

उत्तर- **मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना :-**

- 5वीं, 6वीं, 7वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर छात्र 2000, छात्रा 3000
- 8वीं, 9वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर छात्र 3000, छात्रा 4000
- 10वीं, 11वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर छात्र 4000, छात्रा 6000
- 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर छात्र 6000, छात्रा 8000
- स्नातक कक्षाओं जैसे - बी.ए./बीएससी/बीबी.ए./बीएससी/बी.कॉम आदि प्रत्येक वर्ष के लिये प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर छात्र 8000, छात्रा 10000
- स्नातकोत्तर कक्षाओं जैसे एम.ए./एस.एस.सी./एम.कॉम आदि प्रत्येक वर्ष के लिये प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर छात्र 10000, छात्रा 12000

5 कितने दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर- 31 मार्च तक (जिस शैक्षणिक सत्र हेतु प्रोत्साहन राशि चाही गयी है उसके आगामी सत्र के 31 मार्च तक)

◆ व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना.

1. व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना, हेतु कौन पात्र हैं।

उत्तर- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के ऐसे आश्रित पुत्र-पुत्रियों को अनुदान देने के लिये यह योजना है जिन्हें किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज अथवा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेशन प्राप्त हुआ है। इस योजना का लाभ योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले समस्त परिचयपत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्मण श्रमिकों के आश्रित पुत्र एवं पुत्रियों को प्राप्त होगा।

2 आवेदन कहां करें।

उत्तर- छात्र-छात्रा जिस जिले में अध्ययनरत है उस जिले के श्रम कार्यालय में आवेदन करना होगा।

3 कितना हितलाभ दिया जाता है।

उत्तर- व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना, में निम्न विवरण अनुसार हितलाभ दिया जाता है-

- मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर राशि रूपये 20000
- डेण्टल कॉलेज/फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने पर राशि रूपये 15000
- नर्सिंग कॉलेज/पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश लेने पर राशि रूपये 10000
- इंजीनियरिंग की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर राशि रूपये 15000
- इंजीनियरिंग डिप्लोमा में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने पर राशि रूपये 10000
- आई.टी.आई. में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने पर राशि रूपये 5000

4 कितने दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर- जिस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लिया/द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण किया उसके आगामी शैक्षणिक सत्र में 31 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है।

◆ <u>सुपर 5000(कक्षा-10वीं)</u>

1. सुपर 5000 (कक्षा-10वीं) हेतु अध्ययन अनुदान योजना, हेतु कौन पात्र हैं।

उत्तर- वैध परिचयपत्र धारी निर्माण श्रमिक के पुत्र एवं पुत्रियां योजना के लिए पात्र होंगे।

2 आवेदन कहां करें।

उत्तर- छात्र-छात्रा जिस जिले में अध्ययनरत है उस जिले के श्रम कार्यालय में आवेदन करना होगा।

3 लाभ कितना और किस दशा में दिया जाता है।

उत्तर- योजना के अंतर्गत मण्डल स्तर पर वैध पंजीकृत हितग्राही की ऐसी 5000 संतोनों को जो म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय में अथवा स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करते हुये संपूर्ण राज्य की मेरिट में अपने संकाय के र्वोच्च 5000 बच्चों में सम्मिलित है, योजना के अंतर्गत हितलाभ हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी मेरिट के प्रमाण सहित संबंधित विद्यालय जहां से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, के प्राचार्य को प्रस्तुत किया जाएगा। जहां से अनुशंसा प्राप्त होने पर संबंधित जिले के अधिकृत पदाभिहित अधिकारी द्वारा वांछित जांच के पश्चात पात्र पाये जाने पर योजना के अंतर्गत निर्धारित सहायता राशि की स्वकृति दी जाकर संबंधित विद्यार्थी द्वारा आगामी कक्षा में प्रवेश लेने पर योजनानुसार राशि का भुगतान किया जायेगा।

4 कितने दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर- जिस वर्ष परिणाम घोषित हो उसके आगामी शैक्षणिक सत्र के 31 मार्च तक (उदा. मई 16 में परिणाम घोषित होने की स्थिति में मार्च 17 तक)

◆ <u>सुपर 5000(कक्षा-12वीं)</u>

1. सुपर 5000 (कक्षा-12वीं) हेतु अध्ययन अनुदान योजना, हेतु कौन पात्र हैं।

उत्तर- वैध परिचयपत्र धारी निर्माण श्रमिक के पुत्र एवं पुत्रियां योजना के लिए पात्र होंगे।

2 आवेदन कहां करें।

उत्तर- छात्र-छात्रा जिस जिले में अध्ययनरत है उस जिले के श्रम कार्यालय में आवेदन करना होगा।

3 लाभ कितना और किस दशा में दिया जाता है।

उत्तर- योजना के अंतर्गत मण्डल स्तर पर वैध पंजीकृत हितग्राही की ऐसी 5000 संतोनों को जो म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय में अथवा स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में

अध्ययन करते हुये संपूर्ण राज्य की मेरिट में अपने संकाय के वॉच्च 5000 बच्चों में सम्मिलित है, उनका संपूर्ण राज्य की मैरिट के आधार पर चयन हाने पर योजना के अंतर्गत हितलाभ हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी मेरिट के प्रमाण सहित संबंधित विद्यालय जहां से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, के प्राचार्य को प्रस्तुत किया जाएगा। जहां से अनुशंसा प्राप्त होने पर संबंधित जिले के अधिकृत पदाभिहित अधिकारी द्वारा वांछित जांच के पश्चात पात्र पाये जाने पर योजना के अंतर्गत निर्धारित सहायता राशि की स्वकृति दी जाकर संबंधित विद्यार्थी द्वारा आगामी कक्षा में प्रवेश लेने पर योजनानुसार राशि का भुगतान किया जायेगा।

4 कितने दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर- जिस वर्ष परिणाम घोषित हो उसके आगामी शैक्षणिक सत्र के 31 मार्च तक (उदा. मई 16 में परिणाम घोषित होने की स्थिति में मार्च 17 तक)

◆ व्यवसायिक (यू.जी./पी.जी.) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान

1 कौन पात्र होंगे।

उत्तर- न्यूनतम 2 वर्ष से निरंतर वैध परिचयपत्र धारी निर्माण श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्य योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।

2 आवेदन कहां करें।

उत्तर- उक्त योजना के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ- आयुक्त, नगर निगम, ब- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद् है।

3 कितना हितलाभ दिया जाता है।

उत्तर- 20,000 अथवा कोचिंग शुल्क का 75 प्रतिशत (दोनों में से जो भी कम हो) अनुदान कोचिंग संस्थान को दिया जाता है।

4 कोचिंग संस्थान कौन से हों जिसमें अध्ययन पर लाभ दिया जायेगा।

उत्तर- ऐसे कोचिंग संस्थान जो कम से कम 3 वर्ष से कार्यरत हों, न्यूनतम 300 विद्यार्थियों को कोचिग प्रदान की गई हो, कम से कम 3 वर्षों से सेवाशुल्क प्रदायकर्ता हो।

6 क्या हितलाभ आवेदक को दिया जायेगा अथवा कोचिंग को।

उत्तर- कोचिंग संस्थान को।

7 कितने दिन पुराना पंजीयन होना आवश्यक है।

उत्तर- पंजीयन दिनांक से दो वर्ष उपरांत योजनांतर्गत आवेदन किया जा सकता है।

8 कितने दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर-कोचिंग संस्थान में प्रवेशन के पश्चात 3 माह तक।

◆ राज्य लोकसेवा आयोग एवं संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा पर सफलता पर पुरूस्कार

1 आवेदन कौन कर सकता है।

उत्तर- वैध परिचयपत्रधारी निर्माण श्रमिक के 18 से 45 वर्ष की आयु के पुत्र अथवा पुत्री योजनांतर्गत आवेदन करने के लिये पात्र होंगे।

2 आवेदन कहां करें।

उत्तर- जिला स्तरीय श्रम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

3 कितने दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर- परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 06 माह तक।

4 कितना हितलाभ दिया जाता है।

उत्तर- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग :-

प्रारंभिक परीक्षा हेतु रूपये 15000, मुख्य परीक्षा हेतु रूपये 25000

संघ लोक सेवा आयोग :-

प्रारंभिक परीक्षा हेतु रूपये 25000, मुख्य परीक्षा हेतु रूपये 50000

◆ चिकित्सा सहायता योजना।

1 आवेदन कहां करें।

उत्तर- चिकित्सा योजना के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी निम्नानुसार हैं ग्रामीण क्षेत्र- विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, शहरी क्षेत्र- सिविल सर्जन या अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल।

2 किस-किस बीमारी हेतु लाभ दिया जाता है।

उत्तर- राज्य बीमारी सहायता निधि/पं. दीनदयाल उपाध्याय उपचार योजना/ मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है।

3 क्या परिवार के सदस्यों को भी लाभ मिलता है।

उत्तर- जी हां, परिवार की परिभाषा में परिभाषित सभी सदस्यों को उक्त योजना का लाभ दिया जाता है।

4 किन किन चिकित्सालयों में इलाज करवाने पर मिलता है।

उत्तर- राज्य बीमारी सहायता निधि/पं. दीनदयाल उपाध्याय उपचार योजना/ मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजनांजतर्गत अधिमान्य चिकित्सालयों तथा मण्डल द्वारा अधिमान्य चिकित्सालयों में इलाज कराने पर हितलाभ प्रदान किया जायेगा।

5 कितना हितलाभ मिलता है।

उत्तर- इलाज हेतु रूपये 03 लाख तक हितलाभ दिया जाता है।

6 अधिक राशि होने की दशा में क्या करें।

उत्तर- 03 लाख से अधिक की राशि स्वयं वहन करना होगी।

7 एक ही बीमारी के लिये क्या एक से अधिक बार हितलाभ हेतु आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर- यदि इलाज अलग-अलग समय पर किया गया है तो लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक बार इलाज हेतु भर्ती (**Admit**) होने पर अधिकतम 3 लाख तक का लाभ प्रदान किया जायेगा।

◆ <u>विवाह सहायता योजना।</u>

1 आवेदन कहां करें एवं क्या-क्या दस्तावेज जमा करें।

उत्तर- उक्त योजना के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ- आयुक्त, नगर निगम, ब- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद् है।

2 कितनी संतानों को देय है।

उत्तर- पंजीकृत महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुर्नविवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक देय।

3 क्या निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु मिलेगी।

उत्तर- पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु देय।

4 क्या 18 वर्ष से कम होने पर भी लाभ दिया जायेगा।

उत्तर- नहीं।

5 क्या पुरूष श्रमिक को भी दिया जाता है।

उत्तर- पंजीकृत पुरूष निर्माण श्रमिक के विवाह हेतु लाभ नहीं दिया जाता अपितु पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक हितलाभ दिया जाता है।

6 क्या विवाह के बाद भी आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर- जी हां, विवाह तिथि के 60 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।

7 लाभ लेने हेतु कितने समय पूर्व का पंजीयन होना आवश्यक है।

उत्तर- पंजीयन दिनांक से हितलाभ हेतु पात्र हैं।

◆ मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना।

1 कौन पात्र होंगे।

उत्तर- मण्डल द्वारा 18 से 60 वर्ष की उम्र के हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका मण्डल अंतर्गत पंजीयन होगा वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे।

2 हितलाभ किसे दिया जायेगा।

उत्तर- पंजीकृत हितग्राही के वैध उत्तराधिकारी को हितलाभ दिया जायेगा।

3 अंत्येष्टि सहायता हेतु कितनी राशि दी जाती है।

उत्तर- हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की स्वयं की मृत्यु के तत्काल पश्चात रूपये 5 हजार अंत्येष्टि सहायता दी जावेगी।

4 हितलाभ कितना दिया जायेगा।

उत्तर- हितलाभ का विवरण निम्नानुसार है :-

सामान्य मृत्यु की दशा में आयु 45 वर्ष या कम होने पर रूपये 02 लाख एवं 45 वर्ष से अधिक होने पर 01 लाख, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 04 लाख, दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर 02 लाख।

5 क्या-क्या दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है।

उत्तर- निर्माण श्रमिक का पंजीयन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, दुर्घटना में मृत्यु की दशा में पुलिस प्राथमिकी (एफ.आई.आर) की छायाप्रति मुख्य रूप से प्रस्तुत करना है।

6 मृत्यु के कितने दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर- मृत्यु उपरांत 06 माह के भीतर आवेदन दिया जा सकता है।

7 हितलाभ प्राप्त करने हेतु कितने दिन पुराना पंजीयन होना आवश्यक है।

उत्तर- कोई समय-सीमा नहीं है, पंजीयन के तुरंत बाद हितलाभ हेतु आवेदन किया जा सकता है।

◆ निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान

1 कौन पात्र होंगे।

उत्तर- 18 से 60 वर्ष की उम्र के अपंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजनांतर्गत पात्र होंगे।

2 हितलाभ किसे दिया जायेगा।

उत्तर- 18 से 60 वर्ष की उम्र के अपंजीकृत निर्माण श्रमिक के वैध उत्तराधिकारी को हितलाभ देय होगा।

3 हितलाभ कितना दिया जायेगा।

उत्तर- निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना होने पर मृत्यु में रूपये 04 लाख, निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर रूपये 02 लाख।

4 मृत्यु के कितने दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर- मत्यु उपरांत 06 माह, स्थायी अपंगता की स्थिति में दुर्घटना के दिनांक से 06 माह तक।

5 क्या-क्या दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है।

उत्तर- पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपार्ट की प्रति(एफ.आई.आर.), अपंगता की स्थिति में अपंगता संबंधी प्रमाण-पत्र।

6 अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है तो क्या करें।

उत्तर- यह आवश्यक दस्तावेज है इसे आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

7 अपंगता की दशा में कितना हितलाभ दिया जाता है।

उत्तर- रूपये 02 लाख।

8 यदि दुसरे विभाग की योजना का लाभ श्रमिक द्वारा पूर्व में लिया गया है तो क्या मंडल द्वारा संचालित योजना का लाभ दिया जा सकता है।

उत्तर- दो समान प्रकृति की योजनाओ में हितलाभ नहीं दिया जाता है।

◆ <u>खिलाडी प्रोत्साहन योजना।</u>

1 कौन पात्र होंगे।

उत्तर- पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार के सदस्य को मण्डल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में विजेता होने पर अथवा किसी जिला स्तर/संभागीय स्तर/राज्यस्तरीय खेल में चयनित होने पर पात्रता होगी।

2 आवेदन कहां करें।

उत्तर- उक्त योजना के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ- आयुक्त, नगर निगम, ब- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद् है, मण्डल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में जिला स्तरीय श्रम अधिकारी (कार्यालय प्रमुख)

3 कितना हितलाभ दिया जाता है।

उत्तर- जिला स्तर पर 1000/5000, संभागीय स्तर पर 25000/15000, राज्य स्तर पर 50000/30000

4 किस स्तर के खिलाडी को लाभ दिया जाता है।

उत्तर- जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर

5 कितने दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर- अहर्तादायी खेलकूलद प्रतियोगिता में विजयी होने के पश्चात 06 माह तक।

◆ <u>पं. दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय(शेड) योजना</u>

1 शेड स्वीकृत कराये जाने हेतु किस प्रकार प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।

उत्तर- स्थानों का चयन कर जहां नियमित रूप से निर्माण पीठा श्रमिक कार्य की खोज में एकत्रित होते हैं, शेड निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव मण्डल को प्रेषित किया जायेगा। जिसमें स्थान की उपयुक्तता, भूमि की उपलब्धता, शेड का क्षेत्रफल तथा उसमें पेयजल व प्रसाधन जैसी सुविधायें और निर्माण लागत तथा भविष्य में संधारण आदि की जानकारी सम्मिलित होगी।

2 किन-किन क्षेत्रों में शेड बनवाया जा सकता है।

उत्तर- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में।

3 किन-किन क्षेत्रों के शेड हेतु कितनी-कितनी राशि दी जाती है।

उत्तर- शहरी क्षेत्र में 10 लाख, ग्रामीण क्षेत्र में 02 लाख ।

◆ निर्माण श्रमिक रैन बसेरा

1 रैन बसेरा स्वीकृत कराये जाने हेतु किस प्रकार प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।

उत्तर- स्थल चयन समिति द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। स्थल चयन समिति निम्नानुसार है :- जिलाध्यक्ष, नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संबंधित जिले का श्रम अधिकारी।

2 किन-किन क्षेत्रों के रैन बसेरा हेतु कितनी-कितनी राशि दी जाती है।

उत्तर- चार महानगर (भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं जबलपुर हेतु) 25 लाख, अन्य नगर निगमों हेतु 20 लाख, नगर पालिकाओं हेतु 15 लाख एवं नगर पंचायतों हेतु 10 लाख।

◆ औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना

1 कौन पात्र होंगे।

उत्तर- पंजीकृत निर्माण श्रमिक उक्त योजनांतर्गत पात्र होंगे।

2 आवेदन कहां करें।

उत्तर- उक्त योजना के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ- आयुक्त, नगर निगम, ब- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद् है।

3. कितना हितलाभ दिया जाता है।

उत्तर- टूलकिट की वास्तविक कीमत का 75 प्रतिशत अथवा 5000 दोनों में से जो भी कम हो देय।

4. कितने वर्ष पुराना पंजीयन होना आवश्यक है।

उत्तर- दो वर्ष पुराना पंजीयन होना आवश्यक है।

5. कितनी बार हितलाभ दिया जायेगा।

उत्तर- पांच वर्ष में एक बार।

6. कितने दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर- औजार क्रय करने की तिथि से तीन माह के अंदर आवेदन करना होगा।

◆ सायकल क्रय हेतु अनुदान योजना

1 कौन पात्र होंगे।

उत्तर- पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।

2 आवेदन कहां करें।

उत्तर- उक्त योजना के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ- आयुक्त, नगर निगम, ब- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद् है।

3 कितना हितलाभ दिया जाता है।

उत्तर- क्रय की गई सायकल की लागत का 90 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 4000 जो भी कम हो।

4 कितनी सायकलें क्रय करने पर अनुदान दिया जाता है।

उत्तर- जीवनकाल में एक बाद देय।

4. कितने वर्ष पुराना पंजीयन होना आवश्यक है।

उत्तर- दो वर्ष पुराना पंजीयन होना आवश्यक है।

5 कितने दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर- सायकल क्रय करने की तिथि से 03 माह के भीतर आवेदन करना होगा।